भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 15

सोमवार, 25 नवंबर, 2024 (4 अग्रहायण, 1946, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

हेलीकाप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का विकास किया जाना

15. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या हेलीकॉप्टरों के विनियामक ढांचे में आपातकालीन स्थितियों में संभावित विलंब को कम करने के लिए विशेष रूप से हेलीकाप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (एचईएमएस) इकाइयों के लिए हवाई क्षेत्र प्रबंधन और प्राथमिकता वाले हवाई गलियारों के लिए प्रावधान शामिल होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:

(ग) क्या सरकार की एचईएमएस की प्रचालनात्मक मांगों के अनुरूप अभिघात परिचर्या और उच्च दांव वाले बचाव मिशनों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एचईएमएस कर्मचारियों और पायलटों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): वर्तमान में, भारत सरकार के पास हवाई क्षेत्र प्रबंधन, विशेष रूप से एचईएमएस हेतु कोई विनियामक ढांचा नहीं है।

(ग) और (घ): डीजीसीए ने दिनांक 11 फरवरी, 2016 के हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (एचईएमएस) पर प्रचालन परिपत्र, 2016 की ओसी संख्या 02 के अंतर्गत एचईएमएस कर्मचारियों और पायलटों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किए हैं।

यह प्रचालन परिपत्र (2016 के ओसी 02), हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (एचईएमएस) प्रचालन के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के इच्छुक प्रचालकों के लिए अनुमोदन अपेक्षाओं, उपकरण पूर्वापेक्षाओं, प्रचालनिक शर्तों और प्रशिक्षण मानकों को स्थापित करता है।
